न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 114/2022/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 7.4.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

श्रीमती विचित्रकंवर पत्नी विरेन्द्रसिंह पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपूत नि0 आमलदा जिला भीलवाडा–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय पाटोदी अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पोडेन्ट

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 49/प्रा0 पत्र/2021 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बउनवान विचित्र कंवर बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ मे पारित निर्णय दिनांक 28.10.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 के अन्तर्गत न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम खेडियामान व पचीपला पटवार हल्का मे स्थित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं0 48 मे प्रार्थिया के पिता सुमेर सिंह का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज था उनकी दिनांक 19.11.2016 को मृत्यु होने उपरांत राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके वारिसान का नाम राजस्व दस्तावेजो मे अंकित किया जिसमे प्रार्थिया का नाम हेमकंवर पुत्री सुमेरसिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम आधार कार्ड व अन्य सरकारी कागजो मे विचित्रकंवर अंकित हो रहा है अतः हेमकंवर के स्थान पर विचित्र कंवर दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। उक्त प्रकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 मे चिन्हित किया जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय रेबारपुरा मे पेश हुआ। प्रार्थिया बावजूद सूचना के अनुपस्थित रही। अधीनस्थ न्यायालय ने 28.10.21 को प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का कानूनन पोषणीय नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 75 एलआरएक्ट मे न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 से किसी प्रकार का जवाब अथवा हल्का पटवारी से वास्तविक नाम की रिपोर्ट तलब नही की जबकि सुमेरसिंह के हेमकंवर नाम की पुत्री नही है अपीलार्थीया विचित्र कंवर ही पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया द्वारा अपनी पहचान बावत प्रस्तुत किये गये सभी सरकारी दस्तावेजो का कोई विवेचन किये बगेर तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थना पत्र

अति. सं. आयुक्त
कोटा

खारिज कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 28.10.21 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे अपील के तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण 136 के अन्तर्गत पोषणीय नही होना मानकर त्रुटि की है क्योंकि राजस्व रिकार्ड मे सहवन विचित्र कंवर पुत्र सुमेरसिंह के स्थान नर हेमकंवर गलत दर्ज हुआ है हेमकंवर नाम की कोई पुत्री सुमेर सिंह की नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबध मे कोई जांच व तहकीकात किये बिना ही प्रार्थना पत्र को खारिज कर त्रुटि की है। अंत मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 की ओर से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र एंव शपथ मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षम्य किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर विचार कर अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम खेडियामान व पचीपला पटवार हल्का मे स्थित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं0 48 मे प्रार्थिया के पिता सुमेर सिंह का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज था उनकी दिनांक 19.11.2016 को मृत्यु होने उपरांत राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके वारिसान का नाम राजस्व दस्तावेजो मे अंकित किया जिसमे प्रार्थिया का नाम हेमकंवर पुत्री सुमेरसिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम आधार कार्ड व अन्य सरकारी कागजो मे विचित्रकंवर अंकित हो रहा है अतः हेमकंवर के स्थान पर विचित्र कंवर दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। उक्त प्रकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 मे चिन्हित किया जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय रेबारपुरा पर पेश हुआ। अपीलार्थीया/प्रार्थिया बावजूद सूचना के अनुपस्थित रही। अधीनस्थ न्यायालय ने 28.10.21 को प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट कानूनन पोषणीय नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज कर अधिकार घोषणा का वाद प्रस्तुत कर उक्त अनुतोष प्राप्त किये जाने का जेरअपील निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थीया का मुख्य तर्क है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी का नाम हेमकंवर पुत्री सुमेर सिंह गलत दर्ज किया है जबकि अपीलार्थीया का नाम आधार कार्ड व व अन्य सरकारी कागजो मे विचित्र कंवर है जो दुस्स्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच व रिपोर्ट प्राप्त किये आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के उपर्युक्त तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है धारा 136 एलआरएक्ट मे विहित प्रावधान अनुसार –"भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे

अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें''। उक्त विधिक प्रावधानो के आलोक मे अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत पोषणीय नही है। उक्त अनुतोष हेतु अपीलार्थीया अधिकार घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। उक्त कानूनी तथ्यों के आलोक मे हम अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय मे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष निहित है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0[redacted]गी.आ[redacted]
कोट[redacted]